



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## रुड़की

खण्ड—12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 ई० (अग्रहायण 26, 1933 शक सम्वत्) [संख्या—51

### विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... ..	—	रु० 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	443—481	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	387—388	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## वित्त अनुभाग-9

## अधिसूचना

28 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 608/2011/XXVII(9)/स्टाम्प-42/2008-श्री राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) 74 तथा 75 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड (उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942) में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड (उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942) (संशोधन) नियमावली, 2011

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ-

1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942) (संशोधन) नियमावली, 2011 है।
2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 156 का संशोधन-

उत्तराखण्ड (उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942) जिसे यहां आगे मूल नियम कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 156 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>156. गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिक्री, लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के औसत पर आधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विक्रेता की बिक्री अधिक हो जाये और उसके पास स्टाम्पों का स्टॉक एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन, जिस दिन कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकी दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीदने दिया जायेगा:</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि रुपये दस हजार से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को नहीं दिया जायेगा।</p>	<p>156. गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिक्री, लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के औसत पर आधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विक्रेता की बिक्री अधिक हो जाये और उसके पास स्टाम्पों का स्टॉक एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन, जिस दिन कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकी दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीदने दिया जायेगा:</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि रुपये पन्द्रह हजार से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को नहीं दिया जायेगा।</p>

## 3. नियम 161 का संशोधन—

मूल नियम के नियम 161 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>161. प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता, जो सरकारी कोषागार से तत्काल धन की अदायगी द्वारा गैर न्यायिक न्यायालय फीस या प्रतिलिपि स्टाम्पों को क्रय करता है, स्टाम्पों के प्रत्यक्ष मूल्य के 1.00 रुपये प्रतिशत की छूट पर उसे प्राप्त करेगा।</p> <p>यदि अनुज्ञेय छूट में रुपया का भाग शामिल है, तो ऐसे किसी भाग, जो पांच पैसे के नजदीकी न्यूनतम गुणक के आधिक्य में हो, की उपेक्षा कर दी जायेगी;</p> <p>परन्तु कोई छूट नहीं दी जायेगी:</p> <p>(क) स्वयं क्रेता द्वारा प्रदान किये गये किसी धन पर आपूर्ति किये गये स्टाम्पों पर,</p> <p>(ख) यदि 5 रु0 से अन्यून कुल मूल्य के स्टाम्प एक बार नहीं क्रय किये जाते हैं,</p> <p>(ग) केवल एक रुपये के भाग पर, तथा</p> <p>(घ) आसंजक राजस्व स्टाम्पों के क्रय के लेखा पर।</p>	<p>161. प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता, जो सरकारी कोषागार से तत्काल धन की अदायगी द्वारा गैर न्यायिक न्यायालय फीस या प्रतिलिपि स्टाम्पों को क्रय करता है, स्टाम्पों के प्रत्यक्ष मूल्य के 1.00 रुपये प्रतिशत की छूट पर उसे प्राप्त करेगा:</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि गैर न्यायिक स्टाम्पों के 1000 रुपये मूल्य तक के स्टाम्पों के क्रय पर 2 प्रतिशत की छूट अनुज्ञप्त विक्रेता को अनुमन्य होगी।</p> <p>यदि अनुज्ञेय छूट में रुपया का भाग शामिल है, तो ऐसे किसी भाग, जो पांच पैसे के नजदीकी न्यूनतम गुणक के आधिक्य में हो, की उपेक्षा कर दी जायेगी;</p> <p>परन्तु उस पर कोई छूट नहीं दी जायेगी:</p> <p>(क) स्वयं क्रेता द्वारा प्रदान किये गये किसी धन पर आपूर्ति किये गये स्टाम्पों पर,</p> <p>(ख) यदि 5 रु0 से अन्यून कुल मूल्य के स्टाम्प एक बार नहीं क्रय किये जाते हैं,</p> <p>(ग) केवल एक रुपये के भाग पर, तथा</p> <p>(घ) आसंजक राजस्व स्टाम्पों के क्रय के लेखा पर।</p>

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,

प्रमुख सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. **608/2011/XXVII(9)/Stamp-42/2008**, dated September 28, 2011 for general information:

NOTIFICATION

September 28, 2011

**No. 608/2011/XXVII(9)/Stamp-42/2008**--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 10 and section 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899) read with section 21 of General clauses Act, 1897 (Central Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand (U.P. Stamp Rules, 1942):--

The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Stamp Rules, 1942) (Amendment) Rules, 2011

1. Short Title and Commencement--

- (1) These rules may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Stamp Rules, 1942) (Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force at once.

## 2. Amendment of Rule, 156--

In Rule, 156 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Stamp Rules, 1942), herein referred to as the "Principal Rules", for the existing rule in Column-1 below, the following rule in Column-2 shall be substituted; namely--

Column-1	Column-2
<i>Existing Rule</i>	<i>Hereby substituted Rule</i>
<p>156. Licensed vendors shall be allowed to purchase stamps from the local or branch depot ordinarily once a week, equal to their estimated demand for one week, based on the average sales of the last few weeks. If after a weekly purchase, the sales of any vendor have been heavy and his stock have run short within the week, he shall be allowed to purchase on any other day of the week when the treasury is open, equal to the probable consumption for remaining part of the week:</p> <p>Provided that stamp paper of value of more than Rs. Ten Thousand shall not be given to licensed stamp vendor.</p>	<p>156. Licensed vendors shall be allowed to purchase stamps from the local or branch depot ordinarily once a week, equal to their estimated demand for one week, based on the average sales of the last few weeks. If after a weekly purchase, the sales of any vendor have been heavy and his stock have run short within the week, he shall be allowed to purchase on any other day of the week when the treasury is open, equal to the probable consumption for remaining part of the week:</p> <p>Provided that stamp paper of value of more than Rs. Fifteen Thousand shall not be given to licensed stamp vendor.</p>

## 3. Amendment of Rule, 161--

For the existing rule, 161 of the said "Principal Rules", given in Column-1 below, the following rule in Column-2 shall be substituted; namely--

Column-1	Column-2
<i>Existing Rule</i>	<i>Hereby substituted Rule</i>
<p>161. Every licensed vendor who purchases non-judicial, Court fee or copy stamps from the Government treasury by payment of ready money shall receive the same at a discount of Re. 1.00 per cent of the face value of the stamp.</p> <p>If the discount permissible contains a fraction of a rupee, any such fraction, in excess of the nearest lower multiple of five paise shall be ignored:</p> <p>Provided that no discount shall be allowed:</p> <p>(a) on any Stamps supplied on any material furnished by the purchaser himself,  (b) unless stamps of an aggregate value of not less than Rs. 5 are purchased at one time,  (c) on the fraction of only one rupee, and  (d) on account of purchase of adhesive revenue stamps.</p>	<p>161. Every licensed vendor who purchases non-judicial, Court fee or copy stamps from the Government treasury by payment of ready money shall receive the same at a discount of Re. 1.00 per cent of the face value of the stamp:</p> <p>Provided that a discount of Rs. 2 Per cent on the purchase of Non-Judicial stamp upto Rs. 1000 shall be admissible to the licensed vendor.</p> <p>If the discount permissible contains a fraction of a rupee, any such fraction, in excess of the nearest lower multiple of five paise shall be ignored:</p> <p>Provided that no discount shall be allowed:</p> <p>(a) on any Stamps supplied on any material furnished by the purchaser himself,  (b) unless stamps of an aggregate value of not less than Rs. 5 are purchased at one time,  (c) on the fraction of only one rupee, and  (d) on account of purchase of adhesive revenue stamps.</p>

By Order,

**ALOK KUMAR JAIN,**  
Principal Secretary, Finance.

## वित्त अनुभाग-8

### विज्ञप्ति

20 अक्टूबर, 2011 ई0

संख्या 905/2011/05(100)/XXVII(8)/02-उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-3 के उपनियम-1 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके और इस विषय पर सभी पूर्ववर्ती विज्ञप्तियों का अतिक्रमण करते हुये श्री राज्यपाल, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) के संदर्भ में संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) के पदों का अधिकार क्षेत्र दिनांक 18 अगस्त, 2011 से निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:-

#### संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), गढ़वाल जोन

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	देहरादून सम्भाग	हरिद्वार सम्भाग
	1. डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), खण्ड-1 से 6 तक, देहरादून	1. डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-1 एवं 2, हरिद्वार
	2. डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), खण्ड-7 (मुख्यालय विकासनगर)	2. डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) 1 एवं 2, रुड़की
	3. डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), ऋषिकेश	3. डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), कोटद्वार।

#### संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), कुमाऊँ जोन

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)	नैनीताल सम्भाग	काशीपुर सम्भाग
	1. डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), खण्ड-1 से 3 तक, हल्द्वानी	1. डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-1 से 3 तक काशीपुर
		2. डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-1 से 3 तक रुद्रपुर
		3. डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), खटीमा।

आज्ञा से,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,  
सचिव।

### सामान्य प्रशासन विभाग

#### अधिसूचना

28 अक्टूबर, 2011 ई0

संख्या 1337/XXXI(13)G/2011-उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2011) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य को नियत समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्न सारणी में उल्लिखित विभाग एवं उनके द्वारा उपलब्ध करायी

जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एतद्द्वारा निम्नवत् अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति-

क्र० सं०	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	बी०पी०एल० राशन कार्ड का नवीनीकरण करना	1. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	1. जिलापूर्ति अधिकारी	1. जिला अधिकारी
		2. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	2. जिलापूर्ति अधिकारी	2. जिला अधिकारी
		3. ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	10 दिन	3. खण्ड विकास अधिकारी	3. जिला अधिकारी
2.	नवीन ए०पी०एल० राशन कार्ड जारी करना	1. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में नगरीय सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	1. जिलापूर्ति अधिकारी	1. जिला अधिकारी
		2. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	10 दिन	2. जिलापूर्ति अधिकारी	2. जिला अधिकारी
		3. ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	10 दिन	3. खण्ड विकास अधिकारी	3. अपर जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी

## 2. राजस्व विभाग—

क्र० सं०	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1. प्रमाण-पत्र :					
1.	जाति प्रमाण-पत्र	तहसीलदार	15 दिन	उप जिलाधिकारी	जिला अधिकारी
2.	निवास प्रमाण-पत्र	उप जिलाधिकारी	15 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
3.	हैसियत प्रमाण-पत्र	उप जिलाधिकारी	10 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
4.	चरित्र प्रमाण-पत्र (ठेकेदारी हेतु)	जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	10 दिन	मुख्यालय का उप जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी	जिला अधिकारी
5.	आय प्रमाण-पत्र	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	15 दिन	उप जिलाधिकारी	जिला अधिकारी
6.	उत्तरजीवी / पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र	उप जिलाधिकारी	15 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
7.	चरित्र प्रमाण-पत्र (रोजगार हेतु)	उप जिलाधिकारी	10 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
8.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण-पत्र	जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	10 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
2.	चरित्र सत्यापन (राजस्व पुलिस क्षेत्रान्तर्गत)	जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	45 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी

1	2	3	4	5	6
3.	1. दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (रु0 2,000 तक)	तहसीलदार	दैवीय आपदा घटित होने के 02 दिन के अन्दर	उप जिलाधिकारी	जिला अधिकारी
	2. दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (रु0 5,000 तक)	उप जिलाधिकारी	दैवीय आपदा घटित होने के 03 दिन के अन्दर	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	3. दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (रु0 5,000 से अधिक)	जिलाधिकारी	दैवीय आपदा घटित होने के 07 दिन के अन्दर	मण्डलायुक्त	मुख्य राजस्व आयुक्त
4.	मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि का वितरण	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	धनराशि प्राप्त होने के 05 दिन के अन्दर	उप जिलाधिकारी	जिला अधिकारी
5.	खतौनी (ROR) की प्रति दिया जाना:				
	1. तहसील में आवेदन करने पर	रजिस्ट्रार कानूनगो	आवेदन की तिथि को ही	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी
	2. ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल/उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी)	सम्बन्धित लेखपाल/उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी)	क्षेत्रिय स्तर पर कम्प्यूटर उपलब्ध होने की स्थिति में आवेदन की तिथि को ही, अन्यथा 15 दिन के अन्दर	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी
6.	भू-मानचित्र की प्रति दिया जाना	जिला अधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	आवेदन की तिथि से 03 दिन के अन्दर	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
7.	खसरे की प्रति दिया जाना	सम्बन्धित लेखपाल/उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी)	आवेदन की तिथि को	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	उप जिलाधिकारी
8.	किसान बही	तहसीलदार	07 दिन	उप जिलाधिकारी	जिला अधिकारी



## 3. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग—

क्र० सं०	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र :				
(क)	चिकित्सकीय अस्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र (Medical illness certificate)	(क) प्रभारी चिकित्साधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक	02 दिन	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिला अधिकारी
(ख)	स्वस्थता प्रमाण-पत्र (Physical Fitness) (जिला स्तर)	(ख) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	02 दिन	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिला अधिकारी / महानिदेशक
(ग)	स्टेट मेडिकल बोर्ड (पाक्षिक) द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य / अस्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र (द्वितीय चिकित्सा राय)	(ग) मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून / सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड	15 दिन	निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	महानिदेशक
2.	जननी सुरक्षा योजना में देय प्रोत्साहन राशि	1. प्रभारी चिकित्साधिकारी 2. चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	02 दिन (सामान्य प्रसव) 07 दिन (आपरेशन प्रसव)	1. मुख्य चिकित्साधिकारी 2. मुख्य चिकित्साधिकारी	1. मण्डलीय निदेशक 2. महानिदेशक
3.	मेडिकोलीगल प्रमाण-पत्र :				
(क)	पुलिस मेडिकोलीगल प्रमाण-पत्र	सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी / आकस्मिक	02 दिन	सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रभारी / अधीक्षक / संबंधित क्षेत्र का उप मुख्य चिकित्साधिकारी	मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
(ख)	प्राइवेट मेडिकोलीगल	चिकित्साधिकारी			
(ग)	एक्सीडेन्टल मेडिकोलीगल				
(घ)	पोस्टमार्टम रिपोर्ट (तृतीय प्रति की छायाप्रति)	मुख्य चिकित्साधिकारी	07 दिन	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिलाधिकारी

1	2	3	4	5	6
4.	विकलांग प्रमाण-पत्र (साप्ताहिक)	मुख्य चिकित्साधिकारी	03 दिन	जिलाधिकारी	महानिदेशक
5.	औषधि अनुभाग:				
	(क) औषधि वितरण हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	3 माह	औषधि नियंत्रक	महानिदेशक
	(ख) औषधि वितरण हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	1 माह	औषधि नियंत्रक	महानिदेशक
	(ग) औषधि निर्माण हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	3 माह	औषधि नियंत्रक	महानिदेशक
	(घ) औषधि निर्माण हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	1 माह	औषधि नियंत्रक	महानिदेशक
6.	खाद्य सुरक्षा:				
	1. खाद्य लाइसेंस निर्गत करना	खाद्य लाइसेंस अधिकारी	02 माह	1. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा द्वारा नामित अधिकारी	1. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)
	2. पंजीकरण	पंजीकरण अधिकारी	01 माह	2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा द्वारा नामित अधिकारी	1. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)

## 4. आवास विभाग—

(क) समस्त प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण—

क्र० सं०	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	आवासीय मानचित्र, अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त	सचिव अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	15 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
2.	व्यवसायिक मानचित्र, अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त	सचिव अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	60 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
3.	मानचित्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करना	सचिव अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	05 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
4.	कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आवासीय मानचित्र	सचिव अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	15 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
5.	कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र अनावासीय मानचित्र	सचिव अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	30 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त
6.	भू-उपयोग को ज्ञात करना (स्पष्ट की-प्लान एवं दूरी दर्शाने के उपरान्त)	सचिव अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	10 दिन	उपाध्यक्ष	मण्डलायुक्त

(ख) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग—

क्र० सं०	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	आर०एच०डी० का पंजीकरण/नवीनीकरण	सहयुक्त नियोजक	15 दिन	वरिष्ठ नियोजक	मण्डलायुक्त
2.	आर०एच०डी० के हैबिटाट परियोजना पर तकनीकी अनापत्ति	सहयुक्त नियोजक	30 दिन	वरिष्ठ नियोजक	मण्डलायुक्त
3.	आर०एच०डी० के हैबिटाट परियोजना पर स्वीकृति	सहयुक्त नियोजक	60 दिन	वरिष्ठ नियोजक	मण्डलायुक्त
4.	आर०एच०डी० के हैबिटाट परियोजना की पूर्णता प्रमाण-पत्र	सहयुक्त नियोजक	30 दिन	वरिष्ठ नियोजक	मण्डलायुक्त

## (ग) विनियमित क्षेत्र—

क्र० सं०	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण	नियत प्राधिकार/ उप जिलाधिकारी	30 दिन	नियंत्रक प्राधिकारी/ जिलाधिकारी	मण्डलायुक्त

## 5. परिवहन विभाग—

क्र० सं०	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	वाहन का पंजीयन	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो	1. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या-20, 21 और फार्म संख्या-A, वाहन के बिल की मूलप्रति, वैध बीमा की सत्यापित प्रति, निवास प्रमाण-पत्र एवं एक फोटो के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त वाहन के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क/कर जमा होने के उपरान्त 02 दिन के अन्दर 2. व्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क /कर /अतिरिक्त कर जमा होने के उपरान्त के 04 दिन के अन्दर 3. अन्य जिलों/राज्यों से अस्थायी पंजीयन लेकर आने वाले वाहनों के सम्बन्ध में यह अवधि आवेदन करने की तिथि से प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त 30 दिन के अन्तर्गत होगी	उ० प्र० मोटरयान नियमावली, 1998 के अन्तर्गत धारा-57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिये प्राधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय होगा	परिवहन आयुक्त

1	2	3	4	5	6
2.	शिक्षार्थी लाईसेंस अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या-01, 02, निवास प्रमाण-पत्र, आयु के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति, 16-18 वर्ष के मध्य आयु वालों के सम्बन्ध में अभिभावक की सहमति, व्यवसायिक शिक्षार्थी लाईसेन्स हेतु कम से कम 01 वर्ष पुराना वैध हल्की वाहन चालक लाईसेन्स, दो नवीनतम फोटो प्रस्तुतीकरण एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त 03 दिन के अन्दर परीक्षा ली जायेगी तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 02 दिन	उ0 प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-05 के अन्तर्गत धारा-9 की उपधारा-8 एवं धारा-17 की उपधारा-02 और धारा-19 की उपधारा-03 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिये सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा	परिवहन आयुक्त
3.	स्थायी लाईसेंस अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो	सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या-04, वैध शिक्षार्थी लाईसेंस (न्यूनतम 30 दिन की अवधि पूर्ण होने पर) के व्यवसायिक लाईसेन्स के लिये फार्म संख्या-05 पर मोटर चालक प्रशिक्षण, स्कूल का प्रमाण-पत्र, दो नवीनतम फोटो एवं निर्धारित शुल्क जमा करने परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दूसरे दिन	उ0 प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-05 के अन्तर्गत धारा-09 की उपधारा-8 एवं धारा-17 की उपधारा-02 और धारा-19 की उपधारा-03 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिये सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा	परिवहन आयुक्त

1	2	3	4	5	6	
4.	फिटनेस	सम्भागीय अधिकारी या सम्भागीय अधिकारी विभाग का सम्भागीय निरीक्षक, या सहायक सम्भागीय निरीक्षक जो सम्भागीय अधिकारी या सहायक सम्भागीय अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो	परिवहन या सहायक परिवहन का ऐसा निरीक्षक, या सहायक निरीक्षक जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज वाहन निरीक्षण आख्या फार्म वैध बीमा प्रमाण-पत्र, नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र, समस्त देयों के भुगतान सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, चालन लम्बित न होने का प्रमाण-पत्र के साथ वाहन निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर उसी दिन निरीक्षण कर दिया जायेगा। फीट पाये जाने पर दूसरे दिन फिटनेस जारी कर दी जायेगी, फिट नहीं पाये जाने पर सभी कमियों को एक मुश्त लिखित रूप में सूचित कर दिया जायेगा।	उ0 प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के अन्तर्गत धारा-57 के अधीन अपीलों की सुनवाई, के लिये प्राधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा	परिवहन आयुक्त

## 6. पेयजल विभाग—

क्र0 सं0	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन जल संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना				
(क)	15 एम.एम. व्यास के जल संयोजन	अधिशाली अभियंता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
(ख)	20 एम.एम. व्यास के जल संयोजन	अधिशाली अभियंता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
(ग)	25 एम.एम. व्यास के जल संयोजन	अधिशाली अभियंता	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
(घ)	32 एम.एम. व्यास के जल संयोजन	अधिशाली अभियंता	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
(ङ)	40 एम.एम. व्यास के जल संयोजन	अधिशाली अभियंता	30 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक

1	2	3	4	5	6
	(च) 50 एम.एम. व्यास के जल संयोजन	अधिक्षण अभियंता	30 दिन	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक
	(छ) 50 एम.एम. व्यास से अधिक के जल संयोजन	महाप्रबन्धक	30 दिन	मुख्य महाप्रबन्धक	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल संस्थान/ सचिव, पेयजल
2.	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां मकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में एक सीवर संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना	अधिशासी अभियंता	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
3.	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां किसी कालोनी अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठानों के समूह के लिये सीवर संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना	अधीक्षण अभियंता	30 दिन	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक

## 7. समाज कल्याण विभाग—

क्र0 सं0	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	छात्रवृत्ति				
	सेवा-1 राज्य में छात्रों के सम्बन्ध में अध्ययन के सम्बन्ध में	जिला समाज कल्याण अधिकारी	विद्यालयों से मांग-पत्र प्राप्त होने के 45 दिन में स्वीकृति एवं विद्यालयों को भुगतान	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	सेवा-2 राज्य से बाहर छात्रों के सम्बन्ध में	जिला समाज कल्याण अधिकारी	विद्यालयों से मांग-पत्र प्राप्त होने के 45 दिन में स्वीकृति एवं विद्यालयों को भुगतान	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
2.	गौरा देवी कन्या धन योजना	जिला समाज कल्याण अधिकारी	(अ) पूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्ति से दो माह के भीतर पंजीकरण तथा जिला चयन समिति की बैठक से संस्तुति करायी जायेगी	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी

1	2	3	4	5	6
3.	वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन सेवा-1(अ) ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशन लाभार्थियों हेतु	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	पूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर स्वीकृत आवेदन-पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा	सहायक विकास अधिकारी, पंचायत	जिला अधिकारी
	सेवा-1(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन लाभार्थियों हेतु	खण्ड विकास अधिकारी	ग्राम पंचायत से आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर स्वीकृत आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा	जिला विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	सेवा-2 शहरी क्षेत्रों के पेंशन लाभार्थियों हेतु	उप जिलाधिकारी	पूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर स्वीकृत आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	सेवा-3 उपरोक्त दोनों प्रकार के पेंशन लाभार्थियों हेतु	जिला समाज कल्याण अधिकारी	(अ) खण्ड विकास अधिकारी/ उप जिलाधिकारी से प्राप्त आवेदन-पत्रों का पंजीकरण एवं लाभार्थी को स्वीकृति/ अस्वीकृति की सूचना 45 दिन के भीतर भेजी जायेगी (ब) पेंशन भुगतान की कार्यवाही आवेदन-पत्र प्राप्ति के त्रैमास से आगामी त्रैमास के अन्तिम माह में की जायेगी	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
4.	जनश्री बीमा योजना—				
	सेवा-1 जनपद स्तर पर	जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक बहु-उद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	आवेदन-पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर स्वीकृति/संस्तुति सहित राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
	सेवा-2 राज्य मुख्यालय स्तर पर	उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहु-उद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	जिला कार्यालय से आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 20 दिन के भीतर जीवन बीमा निगम कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा	महाप्रबन्धक	प्रबन्ध निदेशक



## 8. शहरी विकास विभाग—

क्र० सं०	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (जन्म-मृत्यु, अस्पताल में होने पर एवं साक्ष्य हेतु चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर)	नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ रजिस्ट्रार	07 दिन	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम	जिला अधिकारी
		नगरपालिका परिषद् के नगर स्वास्थ्य अधिकारी/रजिस्ट्रार/ अधिशासी अधिकारी	07 दिन	नगरपालिका परिषद् हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	07 दिन	नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	
2.	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (जन्म-मृत्यु, अस्पताल के अलावा अन्य स्थान पर सूचना उपलब्ध होने पर)	नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ रजिस्ट्रार	15 दिन	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम	जिला अधिकारी
		नगरपालिका परिषद् के नगर स्वास्थ्य अधिकारी/रजिस्ट्रार/ अधिशासी अधिकारी	15 दिन	नगरपालिका परिषद् हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	15 दिन	नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी

1	2	3	4	5	6
3.	जन्म-मृत्यु का निकाय में पूर्व से पंजीकरण होने की दशा में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र का निर्गमन	नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ रजिस्ट्रार	03 दिन	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम	जिला अधिकारी
		नगरपालिका परिषद् के नगर स्वास्थ्य अधिकारी/रजिस्ट्रार/अधिशासी अधिकारी	03 दिन	नगरपालिका परिषद् हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	03 दिन	नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
4.	सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्र, अविवादित (आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर)	नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	60 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	60 दिन	नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
5.	सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्र, विवादित (आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर)	नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	90 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	90 दिन	नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी

1	2	3	4	5	6
6.	भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी	30 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	30 दिन	नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी
7.	नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायतों द्वारा भवन मानचित्रों की स्वीकृति (केवल विकास प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र के कार्य क्षेत्र की परिधि के बाहर के क्षेत्र)	नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी	30 दिन	मुख्य विकास अधिकारी	जिला अधिकारी
		नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	30 दिन	नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी का अधिकारी	जिला अधिकारी

## 9. विद्यालयी शिक्षा—

क्र० सं०	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति (अनु० जाति/ अनु० जनजाति/अ०पि० वर्ग/अल्प संख्यक) के आवेदन-पत्रों का समाज कल्याण विभाग को अग्रसारण	प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक	छात्र से आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 10 के अन्दर	खण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला अधिकारी
	समाज कल्याण विभाग से प्राप्त होने पर (अनु० जाति/अनु० जनजाति/अ०पि०वर्ग/ अल्प संख्यक) छात्रवृत्ति का वितरण	प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक	10 दिन	खण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला अधिकारी
2.	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०)	प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक	07 दिन	खण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला अधिकारी

## 10. गृह विभाग—

कार्यों का विवरण जिन पर निर्णय विभाग द्वारा लिया जाना है—

क्र० सं०	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	विदेशियों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाया जाना	निरीक्षक, एल०आई०यू०	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2.	विदेशियों का पंजीकरण	निरीक्षक, एल०आई०यू०	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
3.	बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन (अन्य जन-पदों से प्राप्त सत्यापन-पत्र जहां का वह रहने वाला है)	प्रभारी, थानाध्यक्ष	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
4.	एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराना (वादी को)	प्रभारी, थानाध्यक्ष	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
5.	लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करना	प्रभारी, थानाध्यक्ष	05 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
6.	सेवायोजन सम्बन्धी सत्यापन	प्रभारी, थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
7.	पार-पत्र सत्यापन	निरीक्षक, एल०आई०यू०	21 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
8.	सामान्य प्रार्थना-पत्रों / शिकायतों का निस्तारण	प्रभारी, थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
9.	पुलिस के विरुद्ध शिकायत	क्षेत्राधिकारी	30 दिन	प्रभारी, जनपद	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

कार्यों का विवरण जिन पर विभाग द्वारा जांच कर संस्तुति/आख्या अग्रसारित की जानी है—

1	2	3	4	5	6
10.	शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण की संस्तुति करना/ आख्या अग्रसारित करना (अगर लाईसेन्स निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व और लाईसेन्स निर्गत करने वाले जनपद जहां से सेवा प्रदान की जाती है)	प्रभारी, थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
11.	शस्त्र लाईसेन्स में अन्य कोई परिवर्तन करना विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना (अगर उसी जनपद में परिवर्तन किया जाना है)	प्रभारी, थानाध्यक्ष	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
12.	मेला/प्रदर्शनी एवं अन्य प्रायोजित कार्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति/ आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी, थानाध्यक्ष	05 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
13.	नये शस्त्र लाईसेन्स का सत्यापन विषयक संस्तुति/ आख्या उपलब्ध करना	प्रभारी, थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
14.	शस्त्रों का नवीनीकरण सत्यापन विषयक संस्तुति/ आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी, थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
15.	शस्त्र विक्रेताओं का लाईसेन्स नवीनीकरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति/ आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी, थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
16.	पेट्रोल पम्प/सिनेमा हॉल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी, थानाध्यक्ष/ अग्नि शमन अधिकारी	15 दिन	क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।

3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।

4. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article, 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1337/XXXI(13)G/2011**, Dated October 28, 2011 for general information :

## GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*October 28, 2011*

**No.1337/XXXI(13)G/2011**--In exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttarakhand Right to Service Act, 2011 (Uttarakhand Act No. 20 of 2011), the State Government hereby notifies the services to be provided by various departments, the stipulated time limit for provision of services, the designated officers responsible for provision of service, the First Appellate Authority and Second Appellate Authority as follows :

#### 1. Food and Civil Supplies Department--

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Renewal of BPL Ration Card	1. Concerning Supply Inspector in Urban Area of the District Headquarter	10 days	1. District Supply Officer	1. District Magistrate
		2. Concerning Supply Inspector of Urban Areas excluding the Urban Area of District Headquarter	10 days	2. District Supply Officer	2. District Magistrate
		3. Concerning Village Panchayat Development Officer in Rural Area	10 days	3. Block Development Officer	3. District Magistrate
2.	Issue of new APL Ration Card	1. Concerning Supply Inspector in Urban Area of District Headquarter	10 days	1. District Supply Officer	1. District Magistrate
		2. Concerning Supply Inspector of Urban Areas excluding the Urban Area of District Headquarter	10 days	2. District Supply Officer	2. District Magistrate
		3. Concerning Village Panchayat Development Officer in Rural Area	10 days	3. Block Development Officer	3. Additional District Magistrate/Chief Development Officer

## 2. Revenue Department--

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Issuing of Certificates				
1.	Caste Certificate	Tehsildar	15 days	Sub Divisional Magistrate	District Magistrate
2.	Domicile (Residence) Certificate	Sub Divisional Magistrate	15 days	Additional District Magistrate/Chief Development Officer	District Magistrate
3.	Title Certificate	Sub Divisional Magistrate	10 days	Additional District Magistrate/Chief Development Officer	District Magistrate
4.	Character Certificate (for Contractor)	In-charge Officer nominated by the District Magistrate	10 days	Sub Divisional Magistrate of Head-quarter/Additional District Magistrate	District Magistrate
5.	Income Certificate	Naib Tehsildar/ Tehsildar	15 days	Sub Divisional Magistrate	District Magistrate
6.	Succession/ Family Membership Certificate	Sub Divisional Magistrate	15 days	Additional District Magistrate/Chief Development Officer	District Magistrate
7.	Character Certificate (for Employment)	Sub Divisional Magistrate	10 days	Additional District Magistrate/Chief Development Officer	District Magistrate
8.	Freedom fighters' dependent Certificate	In-charge Officer nominated by the District Magistrate	10 days	Additional District Magistrate/Chief Development Officer	District Magistrate
2.	Character verification (under the jurisdiction of Revenue Police	In-charge Officer nominated by the District Magistrate	45 days	Additional District Magistrate/Chief Development Officer	District Magistrate

1	2	3	4	5	6
3.	1. Natural Calamity Relief Assistance (upto Rs. 2000)	Tehsildar	Within 2 days of the calamity	Sub Divisional Magistrate	District Magistrate
	2. Natural Calamity Relief Assistance (upto Rs. 5000)	Sub Divisional Magistrate	Within 3 days of the calamity	Additional District Magistrate/Chief Development Officer	District Magistrate
	3. Natural Calamity Relief Assistance (more than Rs. 5000)	District Magistrate	Within 7 days of the calamity	Divisional Commissioner	Chief Revenue Commissioner
4.	Distribution of money received from Chief Minister's Relief Fund	Naib Tehsildar/ Tehsildar	Within 5 days of receipt of money	Sub Divisional Magistrate	District Magistrate
5.	Providing copy of ROR				
	1. On application in Tehsil	Registrar Kanoongo	On the date of application	Tehsildar	Sub Divisional Magistrate
	2. On application to Lekhpal in Rural Area/Deputy Revenue Inspector (Patwari)	Concerning Lekhpal/ Deputy Revenue Inspector (Patwari)	On the date of application when computer is available in the concerned office otherwise within 15 days	Tehsildar	Sub Divisional Magistrate
6.	Providing copy of Land Map	In-charge officer nominated by the District Magistrate	Within 3 days from the date of application	Additional District Magistrate/Chief Development Officer	District Magistrate
7.	Providing copy of Khasra	Concerning Lekhpal/ Deputy Revenue Inspector (Patwari)	On the date of application	Naib Tehsildar/ Tehsildar	Sub Divisional Magistrate
8.	Kisan Bahi	Tehsildar	7 days	Sub Divisional Magistrate	District Magistrate



## 3. Medical, Health and Family Welfare Department--

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1. Medical Certificates					
	(a) Medical Illness Certificate	(a) In-charge Medical Officer/Medical Superintendent	2 days	Chief Medical Officer	District Magistrate
	(b) Medical Fitness Certificate (District level)	(b) Chief Medical Superintendent	2 days	Chief Medical Officer	Magistrate/ Director General of Health Services
	(c) Health/Illness certificate issued by State Medical Board (Fortnightly) (for second medical opinion)	(c) Chief Medical Officer, Dehradun/ Secretary, State Medical Council, Uttarakhand	15 days	Director (Medical, Health and Family Planning)	Director General of Health Services
2.	Admissible incentive amount in Janani Suraksha Yojna	1. In-charge Medical Officer  2. Medical Superintendent/ Chief Medical Superintendent	2 days (Normal delivery cases)  7 days (Caesarian delivery cases)	1. Chief Medical Officer  2. Chief Medical Officer	1. Regional Director  2. Director General of Health Services
3. Medico Legal Certificates					
	(a) Police Medico Legal Certificate	Concerning In-charge Medical Officer/	2 days	In-charge/ Superintendent of	Chief Medical Officer/Chief
	(b) Private Medico Legal	Emergency Medical Officer		Concerning Hospital/ Deputy Chief Medical Officer of Concerning Area	Medical Superintendent
	(c) Accidental Medico Legal				
	(d) Post-mortem report (Photo copy of third copy)	Chief Medical Officer	7 days	Chief Medical Officer	District Magistrate
4.	Disability Certificate (weekly)	Chief Medical Officer	3 days	District Magistrate	Director General of Health Services

1	2	3	4	5	6
5.	Drug Section				
	(a) Issue of new license for drug distribution	Drug Licensing Officer	3 months	Drug Controller	Director General of Health Services
	(b) Renewal of license for drug distribution	Drug Licensing Officer	1 month	Drug Controller	Director General of Health Services
	(c) Issue of new license for drug manufacturing	Drug Licensing Officer	3 months	Drug Controller	Director General of Health Services
	(d) Renewal of license for drug manufacturing	Drug Licensing Officer	1 month	Drug Controller	Director General of Health Services
6.	Food Safety				
	(a) Issue of food license	Food Licensing Officer	2 months	Officer nominated by Food Safety Commissioner	Food Safety Commissioner
	(b) Registration	Registration Officer	1 month	Officer nominated by Food Safety Commissioner	Food Safety Commissioner

## 4. Housing Department--

(a) All Authorities/Special Area Development Authorities :

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Approval of Residential Map after no objection certificates received from other Departments	Secretary or an Officer authorized by the Vice-Chairman	15 days	Vice Chairman	Divisional Commissioner
2.	Approval of Commercial Map after no objection certificates received from other Departments	Secretary or an Officer authorized by the Vice-Chairman	60 days	Vice Chairman	Divisional Commissioner
3.	Obtaining second copy of Map	Secretary or an Officer authorized by the Vice-Chairman	05 days	Vice Chairman	Divisional Commissioner
4.	Work completion certificate of a Residential Map	Secretary or an Officer authorized by the Vice-Chairman	15 days	Vice Chairman	Divisional Commissioner
5.	Work Completion Certificate of a non-Residential Map	Secretary or an Officer authorized by the Vice-Chairman	30 days	Vice Chairman	Divisional Commissioner
6.	Clarification of Land use after clear key plan is available	Secretary or an Officer authorized by the Vice-Chairman	10 days	Vice Chairman	Divisional Commissioner

## (b) Urban and Village Planning Department :

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Registration/Renewal of RHD	Associate Town Planner	15 days	Senior Town Planner	Divisional Commissioner
2.	Technical no objection to habitat project of RHD	Associate Town Planner	30 days	Senior Town Planner	Divisional Commissioner
3.	Sanction of habitat project of RHD	Associate Town Planner	60 days	Senior Town Planner	Divisional Commissioner
4.	Completion certificate of habitate project of RHD	Associate Town Planner	30 days	Senior Town Planner	Divisional Commissioner

## (c) Regulated Area :

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Matters Concerning Sanctioning of Map	Designated Authority/ Sub Divisional Magistrate	30 days	Controller Authority/ District Magistrate	Divisional Commissioner

## 5. Transport Department--

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Registration of Vehicle	Divisional Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer or such Divisional Inspector of Transport Department or Assistant Divisional Inspector, who is authorized for performing of duties of licensing authority by Divisional Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer	1. Within 2 days on payment of fixed fee/tax and receiving the application regarding non-professional 2. Vehicle on the presentation of necessary document form no. 20, 21, 22 and form no. A, original copy of bill of vehicle, Certified copies of valid insurance, Residential certificate and one photo, in accordance to rule, 47 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989	Under rule 35 of the Uttar Pradesh Vehicle Rules, 1998 and under section 57, the Deputy Transport Commissioner at Head-quarter of concerning area shall be the authority for hearing of appeals	Transport Commissioner

1	2	3	4	5	6
			<p>3. Within 4 days on payment of fixed fee/tax and receiving the application regarding the professional vehicles</p>		
			<p>4. Regarding incoming vehicles from other Districts/ States for temporary registration, this tenure shall be (within) 30 days on verification of forms from the date of application</p>		
2. Learners' License	<p>Divisional Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer or such Divisional Inspector of Transport Department or Assistant Divisional Inspector, who is authorized for performing of duties of licensing authority by Divisional Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer</p>	<p>Under rule 10 of Central Motor Vehicle Rules, 1989 compulsory document form no. 01, 02 Residential Certificate, certified copy of age certificate, consent of guardian in relation to applicants between the age of 16-18 years, for professional learners' license minimum 1 year old valid light vehicle driving license, two latest photographs and deposit of fixed fees, after that an exam shall be held within 3 days. After the date of passing the examination, license will be issued within 2 days</p>	<p>Under rule 5 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules, 1998 and under sub-section (8) of section 9, sub-section (2) of section 17 and sub-section (3) of section 19, the Deputy Transport Commissioner at Headquarter for concerning region shall be the Authority for hearing of appeals</p>	Transport Commissioner	

1	2	3	4	5	6
3. Permanent License	Divisional Officer or Assistant Divisional Officer or such Divisional Inspector of Transport Department or Assistant Divisional Inspector, who is authorized for performing of duties of licensing authority by Divisional Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer	Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer or such Divisional Inspector of Transport Department or Assistant Divisional Inspector, who is authorized for performing of duties of licensing authority by Divisional Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer	According to rule 14 of Central Motor Vehicle Rules, 1989, compulsory document form no. 04, valid learners' license (on its completion of minimum 30 days duration). For Professional license-Motor Driving training on form no. 05, certificate of school, two latest photos and deposit of fixed fee, next day after the passing of the examination	Under rule 5 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules, 1998 and under sub-section (8) of section 9, sub-section (2) of section 17 and sub-section (3) of section 19, the Deputy Transport Commissioner at Head-quarter of concerning region shall be the authority for hearing of appeals.	Transport Commissioner
4. Fitness	Divisional Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer or such Divisional Inspector of Transport Department or Assistant Divisional Inspector, who is authorized for performing of duties of licensing authority by Divisional Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer	Divisional Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer or such Divisional Inspector of Transport Department or Assistant Divisional Inspector, who is authorized for performing of duties of licensing authority by Divisional Transport Officer or Assistant Divisional Transport Officer	According to rule 62 of Central Motor Vehicle Rules, 1989, compulsory document, vehicle inspection report form, valid insurance certificate, control pollution certificate, certificate regarding payment of all dues, certificate of non-pendency of any challan with vehicle for inspection after that on the payment of fixed fees, the inspection shall be made on same day. If found fit, the fitness shall be issued next day and if not found fit then all queries in writing shall be intimated	Under rule 35 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules, 1998 and under the section 57, the Deputy Transport Commissioner at Head-quarter for the concerning area shall be the authority for hearing of appeals.	Transport Commissioner

## 6. Drinking Water Deapartment--

Sl. no.	Services	Designated Office	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Wherever technically feasible, sanctioning of new water conncection otherwise rejection in special circumstances				
	(a) water connection of 15 mm. diameter	Executive Engineer	15 days	Superintending Engineer	Chief General Manager
	(b) water connection of 20 mm. diameter	Executive Engineer	15 days	Superintending Engineer	Chief General Manager
	(c) water connection of 25 mm. diameter	Executive Engineer	30 days	Superintending Engineer	Chief General Manager
	(d) water connection of 32 mm. diameter	Executive Engineer	30 days	Superintending Engineer	Chief General Manager
	(e) water connection of 40 mm. diameter	Executive Engineer	30 days	Superintending Engineer	Chief General Manager
	(f) water connection of 50 mm. diameter	Superintending Engineer	30 days	General Manager	Chief General Manager
	(g) water connection of more than of 50 mm. diameter	General Manager	30 days	Chief General Manager	Chairman, Uttarakhand Jal Sansthan/Secretary Drinking Water
2.	Where technically feasible, sanctioning of new Sewer Connection in Buildings/ Commercial Institutions otherwise rejection in special circumstances	Executive Engineer	15 days	Superintending Engineer	Chief General Manager
3.	Where it is possible technically, sanctioning of new Sewer conncection in any colony or institutions/group of institutions otherwise rejection in special circumstances.	Superintending Engineer	30 days	General Manager	Chief General Manager

## 7. Social Welfare Department--

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Scholarships :				
1(a)	Regarding the students studying in the State	District Social Welfare Officer	Within 45 days from the date of receipt of demand letter from schools, sanction and payment to the schools	Chief Development Officer	District Magistrate
(b)	Regarding the students studying outside the State	District Social Welfare Officer	Within 45 days from the date of receipt of demand letter from schools, sanction and payment to the schools	Chief Development Officer	District Magistrate
2.	Gaura Devi Kanya Dhan Yojna	District Social Welfare Officer	Within 2 months of receiving the complete application form, registration shall be done and recommendation of the District Selection Committee obtained	Chief Development Officer	District Magistrate
3.	Old Age Pension, Widow Pension and Disabled Pension	Village Panchayat Development Officer	Within 2 months from the date of receiving the complete application from the approved form shall be forwarded to the Block Development Officer	Assistant Development Officer, Panchayat	District Magistrate
	Service-3 (a) for the pension beneficiaries of Rural Areas				
	Service-3 (b) for the pension beneficiaries of Rural Areas	Block Development Officer	Within 15 days from the date of receiving application from Gram Panchayat it shall be forwarded to the District Social Welfare Officer	District Development Officer	District Magistrate

1	2	3	4	5	6
	Service-3 (c) for the pension beneficiaries of Urban Areas	Sub Divisional Magistrate	Within 2 months from the date of receiving complete application form, the approved form shall be forward to the District Social Welfare Officer	Chief Development Officer	District Magistrate
	Service-3 (d) for pension beneficiaries of both types (listed above)	District Social Welfare Officer	(a) Within 45 days, the information of sanction/ rejection shall be sent to the Block Development Officer/ Sub Divisional Magistrate  (b) Payment of pension shall start in the last month of the next quarter	Chief Development Officer	District Magistrate
4.	Jan Shree Beema Yojna :				
	Service-1 at the District level	District Social Welfare Officer/ District Manager, Uttarakhand, Bahuudeshiya Finance and Development Corporation	Within 1 month from the date of receiving the application, it shall be forwarded to the State Head-quarter with recommendation	Chief Development Officer	District Magistrate
	Service-2 at the State Headquarter level	Deputy General Manager, Uttarakhand, Bahuudeshiya Finance and Development Corporation	Within 20 days from the date of receiving the application, it shall be forwarded to the Life Insurance Corporation Office	General Manager	Managing Director, Uttarakhand, Bahuudeshiya Finance and Development Corporation



## 8. Urban Development Department--

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Birth and Death Registration (In cases of Birth and Death happening in the hospital and on produce of medical certificate for evidence)	Municipal Health Officer/ Registrar of Municipal Corporation	7 days	Mukhya Nagar Adhikari, Municipal Corporation	District Magistrate
		Municipal Health Officer/Registrar/ Executive Officer of Municipal Council	7days	An officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate authorized by District Magistrate for Municipal Council	District Magistrate
		Excutive Officer of Nagar Panchayat	7days	An officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate authorized by District Magistrate for Nagar Panchayat	District Magistrate
2.	Birth and Death Registration (In cases of Birth and Death happening outside the hospital, on the availability of related information)	Municipal Health Officer/Registrar/ of Municipal Corporation	15 days	Mukhya Nagar Adhikari, Municipal Corporation	District Magistrate
		Municipal Health Officer/Registrar/ Executive Officer of Municipal Council	15 days	An officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate authorized by District Magistrate for Municipal Council	District Magistrate
		Excutive Officer of Nagar Panchayat	15 days	An officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate authorized by District Magistrate for Nagar Panchayat	District Magistrate

1	2	3	4	5	6
3.	Issue of Birth/ Death certificate in case of prior registration	Municipal Health Officer/ Registrar of Municipal Corporation	3 days	Mukhya Nagar Adhikari, Municipal Corporation	District Magistrate
		Municipal Health Officer/Registrar/ Executive Officer of Municipal Council	3 days	An officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate authorized by District Magistrate for Municipal Council	District Magistrate
		Excutive Officer of Nagar Panchayat	3 days	An officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate authorized by District Magistrate for Nagar Panchayat	District Magistrate
4.	Property Transfer Certificate (non disputed) (on the presentation of application on prescribed form and all required documentary evidence	Mukhya Nagar Adhikari, Municipal Corporation or an officer nominated by him	60 days	Chief Development Officer	District Magistrate
		Excutive Officer of Municipal Council/ Nagar Panchayat	60 days	An officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate authorized by District Magistrate for Municipal Council/Nagar Panchayat	District Magistrate
5.	Property Transfer Certificate (disputed) (on the presentation of application on prescribed form and all required docu- mentary evidence)	Mukhya Nagar Adhikari, Municipal Corporation or an officer nominated by him	90 days	Chief Development Officer	District Magistrate
		Excutive Officer of Municipal Council/ Nagar Panchaya	90 days	An officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate authorized by District Magistrate for Municipal Council/Nagar Panchayat	District Magistrate

1	2	3	4	5	6
6.	No objection Certificate for building construction	Mukhya Nagar Adhikari, Municipal Corporation	30 days	Chief Development Officer	District Magistrate
		Executive Officer of Municipal Council/ Nagar Panchayat	30 days	An officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate authorized by District Magistrate for Municipal Council/Nagar Panchayat	District Magistrate
7.	Sanction of Building Plan by Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat (only for areas out of the jurisdiction of regulated area/ Development Authorities)	Mukhya Nagar Adhikari, Municipal Corporation	30 days	Chief Development Officer	District Magistrate
		Executive Officer of Municipal Council/ Nagar Panchayat	30 days	An officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate authorized by District Magistrate for Municipal Council/Nagar Panchayat	District Magistrate

## 9. School Education Department--

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	For various Scholarships to be given by the Social Welfare Department (Scheduled Castes, Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Minorities)	Principal/Head Master of the school	Within 10 days from the date of receiving the application from the student	Block Education Officer	District Magistrate
	1(a) Forwarding the application to the Social Welfare Department				
	1(b) Distribution of scholarship on receiving the money from the Social Welfare Department	Principal/Head Master	10 days	Block Education Officer	District Magistrate
2.	Issuing transfer Certificate to a student	Principal/Head Master	7 days	Block Education Officer	District Magistrate

## 10. Home Department--

Detail of works, where the decision is to be taken by the Department--

Sl. no.	Services	Designated Officer	Stipulated Time Limit of providing the service	First Appellate Authority	Second Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Increase duration of living in India for Foreigners	Inspector LIU	7 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
2.	Registration of Foreigners	Inspector LIU	Immediately	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
3.	Verification of outside persons (certification letter received from other district to which he belongs)	Officer Incharge of Police Station	7 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
4.	Provide a copy of FIR (to the Plaintiff)	Officer Incharge of Police Station	Immediately	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
5.	Permitting the use of Loudspeaker	Officer Incharge of Police Station	5 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
6.	Verification regarding employment	Officer Incharge of Police Station	30 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
7.	Verification of passport	Inspector LIU	21 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
8.	Disposal of General request letters/ complaints	Officer Incharge of Police Station	30 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
9.	Complaints against Police	Circle Officer	30 days	District Incharge	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police

## Detail of services, where recommendations/comments have to be sent by the Department--

1	2	3	4	5	6
10.	Recommendation of renewal of Armed License/ forwarding comments (incase the application is received before expiry of license and relates to within the district)	Officer Incharge of Police Station	15 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
11.	Regarding recommendation for any changes in Arms License (if relates to same district)	Officer Incharge of Police Station	7 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
12.	Recommendation/ Comments regarding no objection certificate for Fairs/Exhibition and other sponsored programs	Officer Incharge of Police Station	5 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
13.	Recommendation/ Comments regarding the verification for new Arms License	Officer Incharge of Police Station	30 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
14.	Recommendation/ Comments regarding renewal of Arms License	Officer Incharge of Police Station	15 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
15.	Regarding recommendation/comments for issuing no objection certification for renewal license of Armed Sellers	Officer Incharge of Police Station	15 days	Circle Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police
16.	Regarding recommendation/comments for issuing no objection certification to Petrol Pump/Cinema Hall	Officer Incharge of Police Station/ Fire Station Officer	15 days	Circle Officer/ Chief Fire Officer	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police

2. Only working days shall be counted for calculating the stipulated days under the Right to Service Act, 2011.
3. The calculation of days for provision of services under the Right to Service Act, 2011 shall start from the date of receiving complete application forms (with required/essential documents).
4. Said services shall be deemed to be effective immediately.

By Order,

MANISHA PANWAR,  
Secretary.

## सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग—1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

26 अगस्त, 2008 ई0

संख्या 653/XXXI(1)/2008—तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के रिक्त पदों पर वेतनमान रु0 6500—10500 पर अस्थायी रूप से पदोन्नति, आगे प्रस्तर—2 से 5 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

सर्वश्री—

1. विजय कुमार
2. सत्य प्रकाश सिंह
3. शिव स्वरूप त्रिपाठी
4. मुकेश कुमार राय
5. गजेन्द्र सिंह कफलिया
6. धीरेन्द्र कुमार सिंह
7. अर्पण कुमार राजू
8. अनिल जोशी
9. रोशन सिंह
10. शिवेन्द्र नारायण सिंह
11. आलोक कुमार सिंह
12. प्रदीप मोहन नौटियाल
13. अनिल कुमार पाण्डे
14. अजीत सिंह
15. विवेक कुमार जैन
16. रईस अहमद
17. अनूप कुमार मिश्रा
18. श्री प्रकाश तिवारी
19. अखिलेश मिश्र
20. रीता क्वीरा
21. हीरा सिंह
22. आशुतोष शुक्ल
23. दीप्ती मिश्रा
24. कृष्ण कुमार शुक्ल
25. प्रदीप कुमार शुक्ला
26. शिवशंकर मिश्रा
27. ब्योमकेश दूबे
28. सुनील कुमार सिंह
29. रजनीश जैन
30. अतुल कुमार सिंह
31. देवेन्द्र सिंह
32. महावीर सिंह परमार
33. पूरन गिरी
34. जसविन्दर कौर
35. चन्द बहादुर (अनु0 जाति)
36. मिनी जोशी

सर्वश्री—

37. जगजीवन प्रकाश बेरी (अनु0 जाति)
38. हरीश सागर (अनु0 जाति)
39. सुश्री ऋचा
40. राहुल वर्मा
41. हेमा पाण्डे
42. सुभाष चन्द्र (अनु0 जाति)
43. प्रीति तिवारी
44. मनीषा सैनी
45. शुची अग्रवाल
46. दीपक कुमार
47. ज्योति सिंह
48. कृष्ण कुमार (अनु0 जाति)
49. बीरेन्द्र प्रसाद (अनु0 जाति)
50. राजेश कुमार
51. ललिता गुरुरानी
52. प्रेम सिंह
53. मंजुला जोशी
54. वन्दना खण्डूरी
55. प्रेम प्रकाश आर्या (अनु0 जाति)
56. चिरंजी लाल (अनु0 जाति)
57. अरुण कुमार (अनु0 जाति)
58. दीपक कुमार (अनु0 जाति)
59. सोनिया भारती (अनु0 जाति)
60. राधा आर्य (अनु0 जाति)
61. प्रभा आर्या (अनु0 जाति)
62. विजय अंजू भारती (अनु0 जाति)
63. सुधीर कुमार चौधरी (अनु0 जाति)
64. सत्येन्द्र बर्मन (अनु0 जाति)
65. प्रेम राम (अनु0 जाति)
66. चन्द्र प्रकाश (अनु0 जाति)

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिकों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उपरोक्त कार्मिकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमानुसार एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

4—उपरोक्त कार्मिकों की प्रोन्नति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सचिवालय के मध्य होने वाले कार्मिकों के अन्तिम आवंटन के आधीन होगी और यदि उपरोक्त अधिकारियों से ज्येष्ठ कोई अधिकारी उत्तराखण्ड को आवंटित होते हैं तो उन्हें इन्हें उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

5—उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या—150 (एस0बी0)/2006, गणेश प्रसाद व अन्य प्रति उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या—158 (एस0बी0)/2006, संतोष बडोनी प्रति उत्तराखण्ड राज्य तथा रिट याचिका संख्या—547 (एस0बी0)/2006, वीरेन्द्र सिंह कण्डारी प्रति उत्तराखण्ड राज्य में पारित होने वाले अन्तिम आदेश के अधीन है।

आज्ञा से,

एम0एच0खान,  
सचिव।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 ई0 (अग्रहायण 26, 1933 शक सम्वत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over charge)

September 26, 2011

October 11, 2011

**No. 4730 UHC/Admin.A/2011**--CERTIFIED that the office of Additional Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital is transferred (in anticipation of sanction of medical leave w.e.f. 19.09.2011 to 25.09.2011), as herein denoted in the forenoon of 19.09.2011.

*Relieved Officer.*

DHANANJAY CHATURVEDI.

Countersigned

Illegible

*Registrar General,*

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over charge)

September 26, 2011

October 11, 2011

**No. 4731 UHC/Admin.A/2011**--CERTIFIED that the office of Additional Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital is transferred (in anticipation of sanction of medical leave w.e.f. 19.09.2011 to 25.09.2011), as herein denoted in the forenoon of 26.09.2011.

*Relieving Officer*

DHANANJAY CHATURVEDI.

Countersigned

Illegible

*Registrar General,*

High Court of Uttarakhand,

Nainital.



## CHARGE CERTIFICATE

-  
November 03, 2011  
-

**No. 5031/Admin.(A)-UHC/2011**--CERTIFIED that the Office of the Additional Registrar, High Court of Uttarakhand at Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand Notification no. 226/UHC/Admin. A/2011, dated November 2, 2011 as herein *denoted* in the afternoon of 3<sup>rd</sup> November, 2011.

*Relieving Officer.*

DHANANJAY CHATURVEDI,  
*Relieved Officer.*

Countersigned

K. D. BHATT,  
*Registrar General,*  
High Court of Uttarakhand,  
Nainital.

## CHARGE CERTIFICATE

-  
November 04, 2011  
-

**No. 5060/Admin.(A)-UHC/2011**--CERTIFIED that the Office of the Additional Registrar, High Court of Uttarakhand at Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand Notification No. 240/UHC/Admn. A/2011, dated November 2, 2011 as herein denoted in the forenoon 4<sup>th</sup> November, 2011.

*Relieved Officer.*

KANWAR AMNINDER SINGH,  
*Relieving Officer.*

Countersigned

K. D. BHATT,  
*Registrar General,*  
High Court of Uttarakhand,  
Nainital.